



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 5793/2005

याचिकाकर्तागण/प्रत्यर्थीगण :

1. कामता प्रसाद, आत्मज कन्हैयालाल भरिया, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम लोटलोटा, पोस्ट गोपालपुर, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.).
2. शिवराम, आत्मज मोहित राम भरिया, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी पंडरीपानी, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.).

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.).
2. कलेक्टर कोरबा, जिला कोरबा
3. अनुविभागीय दंडाधिकारी, कटघोरा, जिला कोरबा ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका

उपस्थिति:



याचिकाकर्तागण की ओर से डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री सुनील मेर्शा,
अधिवक्ता ।

राज्य/ प्रत्यर्थागण की ओर से अग्रिम प्रति पर श्री जे.के. गिल्डा, अतिरिक्त महाधिवक्ता
सहित श्री ए.एस. कछवाहा, शासकीय अधिवक्ता।

हस्तक्षेपकर्ता की ओर से सुश्री सुषमा चंदेल, अधिवक्ता।

युगल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.सी. भादू एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा।



मौखिक आदेश

(22.01.2008)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश एल.सी. भादू, न्यायमूर्ति द्वारा पारित किया गया:

- (1) प्रकरण ग्राह्यता के स्तर पर सुना गया।
- (2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्तागण जो "भोरिया" जाति के होने का दावा कर रहे हैं, उन्होंने उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.4.2005 (अनुलग्नक P-1) की वैधानिकता, विधिमान्यता और शुद्धता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा विद्वान उप सचिव ने इस



आशय का निर्देश दिया था कि कोरबा जिले में निवास करने वाले भोरिया जाति के लोगों के संबंध में भोरिया अनुसूचित जनजाति के नाम से प्रमाण पत्र जारी करने के विषय में राज्य सरकार द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 08.5.2003 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(3) अनावश्यक विवरणों को छोड़ते हुए, वर्तमान रिट याचिका को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में निवास करने वाले भोरिया-भूमिया, भुइहार-भूमिया, भूमिया, भोरिया, पलिहा, पण्डो जातियों से संबंधित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र भोरिया जाति से संबंधित व्यक्तियों को जारी नहीं किया जा रहा था, तब उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य से संपर्क किया और उनकी शिकायतों पर विचार करते हुए, उप सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य ने ज्ञापन दिनांक 08.5.2003 जारी किया जिसके द्वारा कलेक्टर बिलासपुर को यह निर्देश देने हेतु निर्देशित किया गया था कि वे अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार, कटघोरा एवं कोरबा को निर्देशित करें कि भोरिया जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए क्योंकि उन्हें 1998 से पूर्व ऐसे प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे और उसे पुनः बहाल किया जाए। राज्य द्वारा प्रस्तुत उत्तर की कंडिका 5 से यह प्रतीत होता है कि बाद में उन्हें ज्ञापन दिनांक 08.5.2003 जारी करने की भूल का अहसास हुआ, अतः उन्होंने आदेश दिनांक




28.4.2005 (अनुलग्नक-1) पारित करते हुए ज्ञापन दिनांक 08.5.2003 को निरस्त कर दिया और दिनांक 08.5.2003 से पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई।

(4) डॉ. शुक्ला ने तर्क दिया कि भोरिया वही जाति है जो भरिया जाति के लोग हैं, वे समान रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों का पालन करते हैं और इसी कारण जांच करने के पश्चात तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर ज्ञापन दिनांक 08.5.2003 जारी किया गया था, अतः आक्षेपित आदेश 28.4.2005 (अनुलग्नक P-1) अवैध है और इसे अपास्त किया जाए।

(5) पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, हमने अभिलेख का परिशीलन किया है।

(6) भारत के संविधान का अनुच्छेद 342 यह परिकल्पना करता है कि भारत के राष्ट्रपति निर्दिष्ट जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी करेंगे। वह इस प्रकार पठित है - (1) राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहाँ वह राज्य है, वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात, लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। (2) संसद्, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें





के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(7) महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य विरुद्ध माना आदिम जमात मंडल, (2006) 4 SCC 98

के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 342 विचार और व्याख्या के लिए आया, जहाँ निर्णय की कंडिका 9 में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया

कि विधि द्वारा संसद के अतिरिक्त कोई अन्य प्राधिकारी राष्ट्रपति के आदेशों में संशोधन

नहीं कर सकता है। न तो राज्य सरकार, न ही न्यायालय, न ही न्यायाधिकरण और न

ही कोई प्राधिकारी यह जांच करने और साक्ष्य लेने की अधिकारिता ग्रहण कर सकता है

कि कोई जाति या जनजाति अथवा किसी जाति या जनजाति का भाग या समूह

राष्ट्रपति के आदेशों की किसी एक प्रविष्टि या अन्य में सम्मिलित है, यद्यपि वे स्पष्ट रूप

से और विशिष्ट रूप से सम्मिलित नहीं हैं। कोई न्यायालय अनुच्छेद 341 और 342 के

अर्थ, विषय-वस्तु और विस्तार के भीतर ऐसा करने की शक्ति न होने के कारण उक्त

राष्ट्रपति के आदेशों में परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकता है। यह मानना संभव नहीं

है कि किसी विशेष जाति या जनजाति के संबंध में यह कहने के लिए कि क्या वह

राष्ट्रपति के आदेशों में सम्मिलित है, कोई जांच अनुमत है या कोई साक्ष्य दिया जा

सकता है, जब वह स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं है, अथवा किसी विशेष जाति या





जनजाति या जातियों या जनजातियों के समूह को अपवर्जित करने के लिए जब वे स्पष्ट रूप से सम्मिलित हैं। दादाजी उर्फ दीना विरुद्ध सुखदेवबाबू एवं अन्य, एआईआर 1980 एससी 150, (पृष्ठ 155) के प्रकरण में, शीर्ष न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अतिरिक्त, "अनुसूचित जनजाति" अभिव्यक्ति की कोई अन्य परिभाषा नहीं है। अतः अनुसूचित जनजातियाँ केवल वे ही हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजाति समझा जाता है। इसलिए यह पता लगाने के लिए कि कोई समुदाय अनुसूचित जनजाति है या नहीं, हमें केवल उस आदेश को देखना होगा जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन बनाया गया है।

(8) शीर्ष न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि की उपरोक्त स्थिति के आलोक में, राज्य सरकार या अधिकारियों को केवल उस आदेश को देखना होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन बनाया गया है और कोई भी प्राधिकारी यह घोषित करने के लिए जांच करने और साक्ष्य लेने का हकदार नहीं है कि कोई जाति या जनजाति अथवा किसी जाति या जनजाति का भाग या समूह राष्ट्रपति के आदेशों की किसी एक प्रविष्टि या अन्य में सम्मिलित है, यद्यपि वे स्पष्ट रूप से या विशिष्ट रूप से सम्मिलित नहीं हैं; इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति के आदेशों में, जिस जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है, उसे स्पष्ट और विशिष्ट रूप से सम्मिलित होना चाहिए।



(9) उपरोक्त के आलोक में, यदि हम छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों के संबंध में जारी राष्ट्रपति के आदेशों का अवलोकन करें, तो क्रम संख्या 5 पर केवल भरिया-भूमिया, भुइहार-भूमिया, भूमिया, भरिया, पलिहा, पण्डो को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया गया है। कहीं भी भोरिया, जिसके जनजाति होने का याचिकाकर्तागण दावा करते हैं, सूची में सम्मिलित नहीं है, अतः न तो राज्य सरकार, न ही कोई प्राधिकारी, न ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग भोरिया जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने हेतु कोई निर्देश जारी करने या कोई जांच करने का हकदार है।

(10) उपरोक्त के दृष्टिगत, हमें आक्षेपित आदेश दिनांक 28.4.2005 में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं मिलती है, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने अपने ज्ञापन दिनांक 08.5.2003 को वापस ले लिया है, जिसके द्वारा कलेक्टर बिलासपुर को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील कटघोरा एवं कोरबा को निर्देशित करने हेतु निर्देश दिया गया था कि भोरिया को अनुसूचित जनजाति मानने के प्रयोजन हेतु भरिया में सम्मिलित किया जाए।

(11) यह याचिका भ्रामक होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और इसे प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जाता है।

सही/-
एल.सी. भादू
न्यायाधीश

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

